

State Institute of Health & Family Welfare

Jhalana Institutional Area, Near Doordarshan Kendra, Jaipur-302004

क्रमांक: F-109(7)/SIHFW/MH-Recruit/Nur.off/2023/ 2057-63

दिनांक: 17/4/26

आदेश

नर्सिंग एवं पैरामेडिकल भर्ती 2023 के अन्तर्गत नर्सिंग ऑफिसर भर्ती के आवेदक जिनका अंतिम चयन नहीं किये जाने के संबंध में संस्थान के आदेश क्रमांक F.109(7)/SIHFW/MH-Recruit/Nur.off/2023/1673-78 दिनांक 17.03.2026 के द्वारा संबंधित अभ्यर्थियों को 07 दिवस में चयन नहीं किये जाने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान करते हुए निर्देशित किया गया था। इस सम्बन्ध में प्राप्त परिवेदनाओं पर विचार किया जाकर एवं शेष अभ्यर्थियों को अवसर दिए जाने के उपरान्त भी परिवेदना प्रस्तुत करने हेतु इच्छुक नहीं मानते हुए, निम्नलिखित अभ्यर्थियों का उनके नाम के सम्मुख अंकित कारणों से नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 में किया गया अन्तिम चयन तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। निम्नांकित में से यदि किन्हीं अभ्यर्थियों के संबंध में माननीय न्यायालय का कोई नवीन निर्देश प्राप्त होता है अथवा पूर्व में जारी कोई निर्देश जो कि संस्थान में वर्तमान में अप्राप्त है, के मद्देनजर ऐसे प्रकरणों में संबंधित अभ्यर्थी (याचिकाकर्ता) के संबंध में यह आदेश प्रभावी नहीं होंगे -

1	2	3	4	5
S.No.	Applicant Name	Application ID	Father's Name	चयन नहीं किये जाने का कारण
1	LAKSHITA SHARMA	NO161394	YOGESH SHARMA	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड़ के पत्रांक 118 दिनांक 12.10.2024 के द्वारा अनुभव को पुष्टि योग्य नहीं बताया गया है। अतः अभ्यर्थी को बोनस अंको का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार बोनस अंको के अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 51.035 बनते हैं जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।
2	KIRAN KUMARI	NO151129	BANWARI LAL	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, झुंझुनू ने अपने पत्रांक 2155 दिनांक 02.06.2025 के द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र क्रमांक 1383 दिनांक 27.05.2023 को निरस्त कर दिया है। फलस्वरूप अनुभव आधारित बोनस अंकों के अभाव में कुल प्राप्तांक 47.701 प्रतिशत बनते हैं जो उनके जातिवर्ग के कट ऑफ से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।
3	MANOJ KUMAR	NO132578	DURGA RAM	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम के पत्रांक 2868 दिनांक 11.06.2025 के द्वारा अभ्यर्थी को सरकार द्वारा भुगतान नहीं किया गया तथा ना ही इसका भविष्य में भुगतान किया जायेगा। अतः अभ्यर्थी को बोनस अंको का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार बोनस अंको के अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 61.733 प्रतिशत बनते हैं जो कि इनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतिम चयन से वंचित रहे हैं।
4	NITESH BHARDWAJ	NO184821	MITTHAN LAL BHARDWAJ	अभ्यर्थी की अनुभव अवधि में दिनांक 04.01.2016 से 30.04.2018 एवं 19.02.2019 से 30.06.2020 तक क्रमशः 765 एवं 497 दिवस की अवधि में एफआरएचएस में कार्यरत है। जिसके कारण उक्त अवधि के बोनस अंको का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है। शेष अवधि में सीएचए पद का अनुभव होने के कारण 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जा चुके हैं। इस प्रकार अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 59.165 बनते हैं जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतिम चयन से वंचित रहे हैं।
5	DINESH KUMAR GURJAR	NO191577	JAIRAM GURJAR	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम के पत्रांक 2632 दिनांक 27.11.2024 के द्वारा अनुभव को शून्य किये जाने की अनुशंसा की है। अतः अभ्यर्थी को बोनस अंको का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार बोनस अंको के अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 36.491 बनते हैं जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।

Yam

State Institute of Health & Family Welfare

Jhalana Institutional Area, Near Doordarshan Kendra, Jaipur-302004

6	ADITYA SINGH JAIN	NO204973	SELENDRA SINGH JAIN	अभ्यर्थी के अनुभव प्रमाण पत्र के पुर्नसत्यापन में अनुभव जारीकर्ता अधिकारी द्वारा डीडीसी हैल्पर पद का अनुभव सत्यापित कराया गया है जो कि नर्सिंग ऑफिसर के पद के समरूप कार्य नहीं होने के कारण बोनस अंको का लाभ देय नहीं है। इस प्रकार बोनस अंको के अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने कारण अंतिम चयन से वंचित रहे हैं। †
7	SHAHJAD HUSAIN	NO186222	IQBAL SHAH	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ दिनांक 02.12.2014 से 31.03.2016 तक 486 दिवस, 01.04.2016 से 31.07.2018 तक 819 दिवस एवं दिनांक 16.06.2020 से 04.05.2023 तक 871 दिवस कुल 2176 दिवस के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये हैं किन्तु अभ्यर्थी के पंजीयन दिनांक 22.08.2007 की एनओसी दिनांक 29.04.2010 को जारी की गई एवं पुनः पंजीयन दिनांक 03.07.2018 को हुआ है। जिसके कारण दिनांक 03.07.2018 से 31.07.2018 एवं 16.06.2020 से 04.05.2023 तक 900 दिवस के अनुभव के आधार पर 20 प्रतिशत अंको का लाभ प्रदान किया है। इस प्रकार अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।
8	KULDEEP SHARMA	NO116717	GOVIND SAHAY SHARMA	अभ्यर्थी ने दिव्यांगजन श्रेणी में आवेदन किया है। दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु जयपुरिया चिकित्सालय, जयपुर में गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट दिनांक 17.09.2025 के अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता वन लेग 26 प्रतिशत है। अतः अभ्यर्थी को विशेष योग्यजन श्रेणी का लाभ देय नहीं है।

क्रमांक:—F-109(7)/SIHFW/MH-Recruit/Nur.off/2023/2057-63

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर प्रेषित कर लेख है कि प्रकरण में कैंवियट दायर करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने बाबत सम्बंधित को निर्देशित करवाये जाने का श्रम करवाये।
5. प्रभारी सर्वर रुम को वैबसाईट पर प्रकाशन हेतु।
6. निजी/रक्षित पत्रावली।

jo yam
निदेशक

दिनांक:—17/4/2026

jo yam
रजिस्ट्रार